



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]
No. 162]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2007/चैत्र 9, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHAITRA 9, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2007

सं.का.नि. 264(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 136 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) संशोधन नियम, 2007 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये कौशल उन्हीं रेल सेवकों को लागू होंगे जिनको अधिनियम का अध्याय 14 लागू होता है।
- (4) रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 के नियम 4, उप-नियम (2) में "में भारत सरकार के सचिव" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[सं. सं. ई(एलएल) 2006/एचईआर/16]

मेथ्यु जान, सचिव, रेलवे बोर्ड

पाद टिप्पणी : रेल सेवक (काम के घंटे और विश्राम की अवधि) नियम, 2005 सं. सं.का.नि. 75, तारीख 28-2-2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAY

(Railway Branch)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2007

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by Section 136 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 namely:—

(1) These rules may be called the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

(3) They shall apply only to those railway servants to whom Chapter XIV of the Act applies:

(4) In the Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005, in Rule 4, sub-rule (2), the words "Secretary to the Government of India in the" shall be omitted.

[F. No. 1211/2006/11/R/16]

MATHEW JOHN, Secy. Railway Board

Footnote: The Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 were published vide G.S.R. number 75, dated 28-2-2005.